

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
“मंत्रालय”
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2024

क्रमांक 747 /1051/2023/स्था./चार :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के निम्नलिखित सहायक संचालक को उप संचालक के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 में पदोन्नत करते हुए अस्थाई रूप से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-3 में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है:-

स.क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3
01	श्री जितेन्द्र कुमार पैकरा, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अंबिकापुर	उप संचालक, संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा नवा रायपुर, अटल नगर
02	श्री प्रदीप कुमार सोनकर, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा बिलासपुर	उप संचालक, संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा नवा रायपुर, अटल नगर
03	श्री नंदकुमार सोनवानी, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायपुर-1	उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायगढ़
04	श्री दादूराम ध्रुव, सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा राजनांदगांव	उप संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायपुर-1
05	श्री दिनेश कुमार, सहायक संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा दुर्ग	उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा दुर्ग
06	श्री रामचरण ध्रुव, सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा जगदलपुर	उप संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा जगदलपुर

2/ सरल क्रमांक 3 के पदस्थापना के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री जी.एस.कुमेटी, उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायगढ़ को प्रशासनिक आधार पर उप संचालक, संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा नवा रायपुर, अटल नगर के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ करता है।




3/ सरल क्रमांक 5 के पदस्थापना के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा श्री विनय कुमार ठाकुर, उप संचालक, कार्यालय उप संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा दुर्ग को प्रशासनिक आधार पर उप संचालक, संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ करता है।

4/ उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका **W.P. (PIL) No. 91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & another** एवं **W.P. (S) No. 9778/2019 Vishnu Prasanna Tiwari Versus State of Chhattisgarh & another** में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगा।

(समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(शांता खरे)

अवर सचिव,


छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2024

पृ0क्रमांक 748/1051/2023/स्था/चार,
प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त मंत्रीजी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
6. संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
7. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर, अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
9. समस्त संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
10. समस्त संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
11. कलेक्टर, जिला-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा/रायगढ़/राजनांदगांव
12. समस्त उप संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, छत्तीसगढ़
13. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायपुर/नवा रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर/रायगढ़/राजनांदगांव
14. संबंधित अधिकारी
15. आदेश फोल्डर हेतु

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग